निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 35 / 2019 दिनांक : 06.08.2020

अनवान

छनू बाई पत्नि अम्बालाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

..............वादीया

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर चित्तौडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादीया

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादिया के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा नपानिया पटवार हल्का नपानिया की साबिक खाता संख्या 261 मे दर्ज साबिक आराजी नमबर 794 मीन रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा स्थित हे साक्ष्य में नकल जमाबन्दी साबिक एवं मिसल बंदोबस्त भू प्रबन्ध विभाग की फोटो प्रति संलग्न वाद प्रस्तुत की गई है ।
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या [illegible] आराजीयात गेर खातेदारी में दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या [illegible] खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

की गई तथ्पश्चात् वादिया ने मूल खातेदार नवलराम पिता मोती बागरिया के वारिसान से क्रय की जिसका नामान्तरण संख्या 1012 दिनांक 6.8.2012 को निर्णीत किया गया ।

3. यह कि मौजा नपानिया पटवार हल्का नपानिया की साबिक खाता संख्या 261 में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 794 मीन रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादिया खरीद दिनांक से बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है वर्तमान में भी 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादिया काबिज हो काश्त कर रही है ।

4. यह कि तहसील भदेसर का वर्ष 2010--11 मे भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा ाभू प्रबन्ध किया गया । भू प्रबन्ध के दरम्यिान वादिया की नपानिया पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 261 मे दर्ज साबिक आराजी नमबर 794 मीन रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर वादिया खरीद दिनांक से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिससे वादिया की और से वाद पत्र खातेदारी घोषणात्मक डिक्री पेश किया है ।

5. यह कि वादीया के विवादित आराजीयात सेटेलमेंट से पूर्व खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादीया काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध अधिकारियां द्वारा दौराने भू प्रबन्ध वादीया की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादीया के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादीया आज भी मौके पर 05 बीघा 13 भूमि पर 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है जिससे वादीया उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने की अधिकारी होने से व[illegible] दुरूस्ती पेश है ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. यह कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजीयात वादीया के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादीया 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारियों ने बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादीया को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंअन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलअन्दाजी नहीं करें ना ही जबरन कब्जा कर वादीया को बेदखल करें एव ना ही किसी अन्य को उक्त भूमि आंवटित करें इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है ।

7. यह कि प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधीगण है जिनके विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस देना आवश्यक होता है परन्तु प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी की कृषि आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा0दी0 का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है ।

8. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 24.01.2019 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतःवाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । तथा तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बरोज पेशी प्रतिवादीगण की ओर पैरोकार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका एवं रिकार्ड के आधार पर प्रतिवेदन मय कमीशनरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कि :–

वादिया के नाम नपानिया की जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खता संख्या 262 में खसरा नम्बर 794 मी रकबा 5 बीघा विक्रय (ना0क0 1012 दिनांक 6.8.12) से खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी जो छनुबाई पत्नि अम्बालाल मेनारिया के नाम थी भू प्रबन्ध के नवीन रेकार्ड में साबिक आराजी नमबर 794 मी को नवीन खसरा नम्बर 975, 976, 977 देते हुए बिलानाम दर्ज कर वादीया का नाम खाते से हटा दिया । मिलान क्षेत्रफल साबिक आराजी नम्बर 794 मी को हाल खसरा नम्बर 975 रकबा 0.16 हैक्टेयर आराजी नम्बर 976 रकबा 0.12 हैक्टेयर आराजी नम्बर 977 रकबा 0.94 हैक्टैयर दिये गये वादीया मौके पर बिलानाम आराजी नम्बर 977 रकबा 0.94 हैक्टेयर पर काबिज है आराजी नम्बर 975, 976 पर वादिया का कब्जा नहीं है आराजी नम्बर 977 साबिक आराजी नम्बर 794 का ही भी साबिक आराजी नम्बर 794 मी पूर्व में छनुबाई मेनारिया के नाम दर्ज थी ।

विद्वान अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गई जिन्होंने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व व भू प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से वादिया के खातेदारी से विलोपित भूमि पुनः वादिया के खातेदारी में दर्ज कराई जावे ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत जमबान्दी साबिक एवं वर्तमान तथा मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित होता है कि वादिया के मौजा नपानिया में साबिक खसरा नम्बर 794 मी रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि क्रय करने के आधार पर खातेदारी में दर्ज हुई थी किन्तु भूप्रबन्ध में उक्त आराजी को खातेदारी से विलोपित करते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 975, 976,

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

977 कायम कर दिये गये है जिसमें से केवल मात्र आराजी नम्बर 977 रकबा 0.94 हैक्टैयर पर ही साबिक रेकार्ड अनुसार कब्जा है । जो वादीया अपने खातेदारी में पुनः दर्ज कराने की अधिकारीणी है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादिया की खातेदारी मे दर्ज मौजा नपानिया की साबिक खसरा नम्बर 794 मी रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का भू प्रबन्ध कार्यवाहीं में विलोपित कर दी गई है की क्षतिपूर्ति इसी आराजी से कायम किये गए मौजा नपानिया की बिलानाम आराजी नम्बर 977 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि से करते हुए वादीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी • भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) •

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0.

छनू बाई पत्नि अम्बालाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

..............वादीया

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर चित्तौडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण सं0 35/2019

वादीया की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 06.08.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीया आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादिया की खातेदारी मे दर्ज मौजा नपानिया की साबिक खसरा नम्बर 794 मी रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का भू प्रबन्ध कार्यवाहीं में विलोपित कर दी गई है की क्षतिपूर्ति इसी आराजी से कायम किये गए मौजा नपानिया की बिलानाम आराजी नम्बर 977 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि से करते हुए वादीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तदनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 06–08–2020 को लिखा एवं मुर्तिब किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी • भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner